अवध अमानती नोट्स अधिनियम, 1918[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1918]

भारत सरकार (भारतीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1937

द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित।

[5 मई, 1918 को लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और 30 मई, 1918 को गवर्नर–जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और 5 जून, 1918 को भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 81 के अंतर्गत [2]प्रकाशित किया गया।]

अवध अमानती नोट पर किसी व्यक्ति को देय ब्याज को पेंशन अधिनियम, 1871 के अर्थ में पेंशन घोषित करने के लिए अधिनियम।

चूँकि यह समीचीन है कि अवध में अमानती नोट के रूप में ज्ञात किसी भी सरकारी वचन पत्र पर सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को देय ब्याज को पेंशन घोषित किया जाना चाहिए।

1871 का अधिनियम 33

और चूँकि भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्तों के सम्बन्ध में पेंशन अधिनियम[3] में परिवर्तन हेतु इस अधिनियम की धारा 79(2) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक

1—इस अधिनियम को अवध अमानती नोट अधिनियम, 1918 कहा जा सकेगा।

अमानती नोटों पर ब्याज को पेंशन माना जाएगा

2—अमानती नोट के रूप में ज्ञात किसी भी सरकारी वचन पत्र पर, जिसकी सूची और विवरण अनुसूची I में दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को समय–समय पर देय ब्याज, पेंशन अधिनियम, 1871 के अर्थ में उस व्यक्ति को देय पेंशन माना जाएगा, और वह अधिनियम ऐसे किसी भी ब्याज पर इस प्रकार लागू होगा मानो वह धारा 4 और 11 में निर्दिष्ट वर्गों की पेंशन हो :

प्रतिबंध यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 को ऐसे ब्याज पर लागू करते समय, उस धारा को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो वह निम्नलिखित हो –

[4]केन्द्रीय सरकार –

(क) किसी व्यक्ति को अमानती नोट पर देय एक रुपये से अधिक किन्तु पांच रुपये प्रति माह से अनधिक की राशि के किसी ब्याज को उस व्यक्ति की सहमति से ऐसी शर्तों पर, जो उचित प्रतीत हों, एकमुश्त राशि में परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां उक्त व्यक्ति की पेंशन बंद होने से वह बेसहारा हो जाएगा, और

---

1. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र 1917, भाग टप्, पृष्ठ 1287 देखें; चर्चा के लिए, एल.सी. में देखें वही, 1917, भाग VII, पृष्ठ 139, और वही, 1918, पृष्ठ 587।
2. राजपत्र, 1918, भाग VII, पृष्ठ 787 देखें।
3. सरकार द्वारा ए.ओ. 1937 के द्वारा प्रतिस्थापित।
4. (एल. जी.) के लिए ए. ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उक्त व्यक्ति को अमानती नोट पर देय एक रुपया प्रति माह या उससे कम ब्याज को उस व्यक्ति की सहमति से या उसके बिना, ऐसी शर्तों पर, जो उचित प्रतीत हों, परिवर्तित करने का आदेश दे।

अनुसूचि

संख्या	034056	का	1854—55	रुपये के लिए	12,00,000
,,	034051	,,	1854—55	,,	4,80,000
,,	034518	,,	1854—55	,,	2,40,000
,,	034054	,,	1854—55	,,	1,20,000
,,	011227	,,	1854—55	,,	60,000
,,	034515	,,	1854—55	,,	60,000
,,	044313	,,	1854—55	,,	1,20,000
,,	034517	,,	1854—55	,,	72,000
,,	034052	,,	1854—55	,,	24,000
,,	034516	,,	1854—55	,,	12,000
,,	041180	,,	1854—55	,,	12,000
,,	034053	,,	1854—55	,,	5,00,000
,,	034055	,,	1854—55	,,	1,00,000

;

———

नोट :— हिन्दी अनुवादित प्रति।